तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-05-2023	पत्रावली पेश हुई। ~~प्रार्थीन~~ प्रार्थिनीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थी तहसीलदार सिवाना उपस्थित। तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बहस सुनी गई। प्रार्थिनीगण के वकील ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थिनीगण की क्रयशुदा संयुक्त खातेदारी की भूमि ख. सं. 622/218 व 626/220 कुल रकबा 1.6673 ग्राम भाखरपुरा तहसील सिवाना में अवस्थित है। जिस पर वक्त खरीद से प्रार्थिनीगण काबिज होकर काश्त करती आ रही है। ~~बेचान~~ पत्र में प्रार्थिनीगण की प्रविष्टि एंव जाति सही दर्ज हुई, किन्तु उसके आधार पर नामान्तरकरण दायर करने के दौरान उनके एंव उनके पति के नाम के मध्य 'पत्नी' नहीं लिखा और प्रार्थिनी सं. 2 व 3 की जाति 'राजपुरोहित' के स्थान पर 'राजपूत' दर्ज किये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी तदनुसार अशुद्ध अमलदरामद हो गया। अत: प्रार्थिनीगण के राजस्व रिकार्ड में अपने व अपने शोहर के नाम के मध्य 'पत्नी' दर्ज करवाने तथा प्रार्थिनी सं. 2 व 3 की जाति राजपूत के स्थान पर 'राजपुरोहित' दुरस्त करवाने की अधिकारीणी है। वकील प्रार्थिनीगण ने दस्तावेजात में सरपंच ग्राम पंचायत सिणे[illegible] [illegible], विवादित भूमि की पत्रावली, प्रार्थि[illegible] [illegible] आधार कार्ड विक्रेता [illegible] [illegible] निष्पादित बेचान पत्र प्रस्तुत किये। हमने प्रार्थिनी वकील की बहस पर मनन तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एंव तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:56:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख इस हुक्म की तामील जारी हुए
	का अवलोकन किया। बेचान पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीनीगण ने बेचान क्रमांक 202203096100089 दिनांक 11-01-2022 के जरिये खातेदार गोरधनराम पुत्र बीजाराम कौम जाट से ग्राम भाखरपुरा तहसील सिवाना की ख.सं. 626/220 व 622/218 कुल रकबा 1.6673 हेक्टेयर भूमि क्रय की। किन्तु बेचान के आधार पर नामान्तरकरण दायर करने के दौरान हल्का पटवारी सिणोर ने प्रत्येक प्रार्थिनी एंव उसके शोहर के नाम के मध्य 'पत्नि' अंकित नहीं किया और प्रार्थिनी सं. 2 व 3 की जाति 'राजपुरोहित' के स्थान पर 'राजपूत' दर्ज कर दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी उसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि दर्ज हुई। प्रार्थीनीगण के आधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत सिणोर द्वारा जारी प्रमाणपत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थीनीगण की जाति राजपुरोहित है, जो निष्पादित बेचान पत्र में अंकित है तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थिनी की जाति 'राजपुरोहित' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि के रिकार्ड में दुरस्ती किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीनीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भाखरपुरा तहसील सिवाना की ख.सं. 622/218 व 626/220 कुल रकबा 1.6673 हेक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रत्येक प्रार्थीनी व उसके पति के नाम के मध्य 'पत्नी' शब्द [illegible] प्रार्थीनी सं. 2 व 3 की [illegible] के स्थान पर 'राजपुरोहित' दर्ज [illegible] जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरस्ती सुनि[illegible]त किये जाने हेतु आदेशीत किया जाता है। आदेश आज दिनांक 06-05-2023 को सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:36:55 IST
Reason: SelfAttested